

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/एफ/प्रशा/स्था/2022/ 5427

दिनांक 19/05/2022

//अधिसूचना//

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला ग्वालियर से प्राप्त पत्र क्रमांक 11-24/स्था.निर्वा/32 अवकाश/2022/715 ग्वालियर दिनांक 19.05.2022 के निर्देशानुसार माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेश दिनांक 10.05.2022 के क्रम में म0प्र0 एवं जिला ग्वालियर में आगामी दिवसों में यथाशीघ्र स्थानीय निकायों के निर्वाचन समपन्न होना है।

उपरोक्त निर्देशानुसार उक्त आगामी निकायों (नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायत) के आम निर्वाचन 2022 को दृष्टिगत रखते हुये विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक/अधिकारी/कर्मचारी को सूचित किया जाता है, कि निर्वाचन कार्य समाप्ति तक पूर्व स्वीकृति अवकाश (प्रसूता अवकाश एवं अन्य चिकित्सीय अवकाश को छोड़कर) एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं।

भविष्य में किसी भी प्रकार के अवकाश विभाग प्रमुख के माध्यम से श्री एच0बी0शर्मा अपर कलेक्टर जिला ग्वालियर से अनुमोदन के पश्चात् ही स्वीकृत किये जावेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जावेगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।
2. उप/सहा0कुलसचिव(प्रशा0), जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।
4. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।
5. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
6. विश्वविद्यालयीन वेबसाईट पर प्रसारित हेतु।


सहा0/उप-कुलसचिव (प्रशासन)